Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.N		
18	Recommendation of the State Government: - (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता उप महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, छाल को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल में 185.017 हे. (संरक्षित वन 176.710 हे. एवं राजस्व वन 8.307 हे.) तथा डिम्ड फारेस्ट 55.850 हे. (खसरा क्रमांक 410 ग्राम बांधापाली) इस तरह महायोग कुल 240.867 हे. वन भूमि में कोयला उत्खनन के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव पर निम्न शर्तों के अधीन राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है :- 1.तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी प्रपत्र भाग-4 दिनांक 19.04.2018 द्वारा अधिरोपित निम्नानुसार 5 शर्ते यथावत रखी जाती है परन्तु यह समस्त 240.867 हे. वन भूमि के लिए लागू होंगी। 1.1) खदान के कर्मचारियों एवं मजदूरों हेतु पाईप के माध्यम से गैस सप्लाई की जाये ताकि जलाऊ हेतु वनों पर दबाव न पड़े। 1.2) इस खदान में कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाये ताकि अस्थाई निर्माण हेतु वनों पर दबाव न पड़े। 1.3) सेफ्टी जोन क्षेत्र में 6 फीट ऊंची रिकायल बारबेड वायर फैसिंग की जानी होगी जिससे वन क्षेत्र की सुरक्षा हो सके। 1.4) पर्यावरण स्वीकृति एवं खनन संबंधी लागू नियम के तहत खनन कार्य मांड नदी के HFL से 60 मीटर के बेरियर रखे जाने का प्रावधान किया जावे एवं खनन का कार्य नदी किनारे से 120 मीटर की दूरी छोड़कर किया जावे तथा विस्तारित क्षेत्र के लिए Coal Mining Regulation 1957 (2017) के तहत permission के अनुसार Barrier छोड़ा जावेगा। 1.5) पर्यावरण स्वीकृति एवं खनन संबंधी लागू नियम अनुसार नदी के प्रवाह से खदान की सुरक्षा हेतु Embankment बनाया जावे तथा जिसकी ऊचांई HFL से कम से कम 3 मीटर ऊपर रखा जावे। 2.डिम्ड फारेस्ट रकबा 55.850 हे. खसरा क्रमांक 410 के प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा प्रपत्र-3 में की गई अनुशंसा के आधार पर तथा उनके पत्र दिनांक 27.06.2018 अनुसार की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त भी अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है:- 2.1 समस्त 240.867 हे. वन भूमि के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना आवेदक संस्थान के व्यय पर क्रियान्वित की जावेगी। 2.2 प्रस्तावित वन क्षेत्र में वन क्षेत्र से समीपस्थ जिन ग्रामीणो द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं अन्य लघु वनोपज नियमित रूप से एकत्रित कर आय प्राप्त की जाती है, उन्हें उपयुक्त क्षतिपूर्ति आवेदक संस्थान के व्यय पर प्रदान की जावे। 2.3 खेदापाली डेम के जलग्रहण क्षेत्र के लिए जल ग्रहण प्रबंध योजना आवेदक संस्थान के व्यय पर क्रियान्वित की जावेगी। 2.4 आवेदक संस्थान वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल को वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यपवर्तित प्रकरणों की मानीटरिंग के लिए एक वाहन क्रय (इनोवा या समकक्ष) कर उपलब्ध कराएगी।

Signature

Date : 05-04-2021
Place : Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua
Designation - Principal Secretary, C.G. Govt.
Forest & Climate Change Department

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Department of Forest
Mantralaya, Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–18/2018/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 08/04/2021

प्रति,

डी.आई,जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड,
नई दिल्ली – 110003 ।

विषय:– **Diversion of 240.867 ha. (185.017 ha. Revenue Forest Land + 55.850 ha. Deemed Forest) forest land for non- forest Purpose under forest conservation Act, 1980 for Chhal OC seam III 6 MTY Project of SECL in Raigarh District of Chhattisgarh.**

संदर्भ: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–222/1276, दिनांक 23.04.2018 तथा पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–259/2395, दिनांक 28.12.2020 एवं पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–259/559, दिनांक 26.02.2021 ।

––– ::000:: –––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रकरण में SECL के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल में Chhal OC seam III 6 MTY Project में कोयला उत्खनन बाबत 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

2/– इस क्षेत्र के साथ जुड़े 55.850 हे. भूमि (जिसमें कोयला उत्खनन प्रस्तावित था) में गैर वानिकी कार्य हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के कारण इसे Deemed Forest माना जाकर अतिरिक्त प्रस्ताव के रुप में 55.850 हे. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

3/– संदर्भित पत्रों में उपरोक्त कारणों से पूर्व में SECL के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल में Chhal OC seam III 6 MTY Project में कोयला उत्खनन बाबत 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव के साथ अतिरिक्त प्रस्ताव के रुप में 55.850 हे. भूमि के Deemed Forest के प्रस्ताव को सम्मिलित कर 185.017+55.850 हे. = 240.867 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव चेक लिस्ट के 44 बिंदुओं के अनुरुप बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदक संस्थान एस0 ई0 सी0 एल0 छाल द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल छाल परिक्षेत्र अन्तर्गत खुली खदान सीम III रकबा 185.017 हे. Forest में एवं ग्राम बांधापाली के खसरा क्रमांक 410 रकबा 55.850 हे. Deemed Forest में कोयला उत्खनन के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म A भाग 1 द्वारा मांग रखी गई है। विवरण निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव का चेक लिस्ट क्रमांक 1 का विवरण पृष्ठ 1 से 16 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव का चेक लिस्ट क्र. 1 का विवरण पृष्ठ 1 से 10 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 1 से 16) Vol B - Part I (पृष्ठ क्र. 1 से 10)

क्रमशः : 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार निम्नानुसार पंजीयन एवं प्रसंस्करण की राशि जमा किया गया है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/MIN/16237/2015** जमा राशि 64,000/– रूपये संबंधित दस्तावेज पृष्ठ 17 से 20 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/MIN/39334/2019** जमा राशि 52,000/– रूपये संबंधित दस्तावेज पृष्ठ 11 से 13 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 17 से 20) Vol B - Part I (पृष्ठ क्र. 11 से 13)
3	**वन क्षेत्र का विवरण** – प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. वन भूमि का विवरण प्रकरणवार निम्नानुसार पृष्ठ में संलग्न है। (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव का वन क्षेत्र संबंधित विवरण पृष्ठ 21 से 30 में संलग्न है। (ब)रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव का डिम्ड फारेस्ट संबंधित विवरण पृष्ठ 14 से 15 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 21 से 30) Vol B - Part I (पृष्ठ क्र. 14 से 15)
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण** – प्रकरणवार निम्नानुसार पृष्ठ में संलग्न है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव का गैर वन क्षेत्र संबंधित विवरण पृष्ठ 31 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव का गैर वन क्षेत्र संबंधित विवरण पृष्ठ 16 से 18 में संलग्न है।	Vol A-Part I (पृष्ठ क्र. 31) Vol B - Part I (पृष्ठ क्र. 16 से 18)
5	**व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर** – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर मानचित्र प्रकरणवार निम्नानुसार पृष्ठ में संलग्न है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव का मानचित्र पृष्ठ 32 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव का मानचित्र पृष्ठ 19 से 20 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 32) Vol B - Part I (पृष्ठ क्र. 19 से 20)
6	**वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप** – प्रस्तावित वन क्षेत्र का **इण्डेक्स मैप** प्रकरणवार निम्नानुसार पृष्ठ में संलग्न है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव का इण्डेक्स मैप पृष्ठ 33 से 38 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव का इण्डेक्स मैप पृष्ठ 21 से 22 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 33 से 38) Vol B - Part I (पृष्ठ क्र. 21 से 22)

क्रमशः : 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
7	**प्रपत्र –4 में प्रस्ताव** प्रपत्र– 4 में प्रस्ताव का प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव का प्रपत्र–4 में जानकारी पृष्ठ 39 से 50 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव का प्रपत्र – 4 में जानकारी पृष्ठ 23 से 35 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 39 से 50) Vol B - Part I (पृष्ठ क्र. 23 से 35)
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप** – प्रस्ताव के प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप प्रकरणवार निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप की जानकारी पृष्ठ 51 से 87 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप की जानकारी पृष्ठ 36 से 77 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 51 से 87) Vol B - Part I (पृष्ठ क्र. 36 से 77)
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र** – वचन पत्र प्रकरणवार निम्नानुसार संलग्न है (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए वचन पत्र पृष्ठ 88 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए वचन पत्र पृष्ठ 78 से 79 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 88) Vol B - Part I (पृष्ठ क्र. 78 से 79)
10	**न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र** – प्रकरण में न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता का प्रमाण पत्र प्रकरणवार निम्नानुसार संलग्न है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र पृष्ठ 89 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र पृष्ठ 80 से 81 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 89) Vol B - Part I (पृष्ठ क्र. 80 से 81)
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र** – प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए प्रकरणवार निम्नानुसार संलग्न है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र के संबंधित दस्तावेज पृष्ठ 90 से 107 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र के संबंधित दस्तावेज पृष्ठ 82 से 101 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 90 से 107) Vol B - Part I (पृष्ठ क्र. 82 से 101)
12	**वृक्ष विदोहन विवरण** –प्रकरण में प्रस्ताववार विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है:– <table><tr><th>पृ. क्रमांक</th><th>रकबा</th><th>विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या</th></tr><tr><td>पृष्ठ 108 से 113</td><td>185.017</td><td>74,284</td></tr><tr><td>पृष्ठ 102 से 106</td><td>55.850</td><td>16,000</td></tr></table>	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 108 से 113) Vol B - Part I (पृष्ठ क्र. 102 से 106)

<table>
<tr><th>बिंदु क्र.</th><th>विवरण</th><th>संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप</th></tr>
<tr><td>13</td><td>कास्ट/बेलिफिट ऐनालिसिस – कास्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रस्तावार निम्नानुसार हैः–
<table>
<tr><th>पृ. क्रमांक</th><th>रकबा</th><th>सी.बी. रेश्यो</th></tr>
<tr><td>पृष्ठ 114 से 116</td><td>185.017</td><td>1:19.33</td></tr>
<tr><td>पृष्ठ 107 से 110</td><td>55.850</td><td>1:26.90</td></tr>
</table></td><td>Vol A - Part I
(पृष्ठ क्र. 114 से 116)
Vol B - Part I
(पृष्ठ क्र. 107 से 110)</td></tr>
<tr><td>14</td><td>चयनित गैर वनक्षेत्र / निजी भूमि (पंचशाला खसरा कि नकल मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तातंरण आदेश) –
प्रस्तावित परियोजना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनक्षेत्र का चयन नहीं किया गया है। प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार हैः–
(अ)रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना दुगुने नारंगी वनक्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण गैर वनक्षेत्र के चयनित गैर वनक्षेत्र / निजी भूमि आवश्यकता नहीं है विवरण पृष्ठ 117 में संलग्न है।
(ब)रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना दुगुने बिगडे वनक्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण गैर वनक्षेत्र चयनित गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि आवश्यकता नहीं है, विवरण पृष्ठ 112 में संलग्न है।</td><td>Vol A - Part I
(पृष्ठ क्र. 117)
Vol B - Part I
(पृष्ठ क्र. 112)</td></tr>
<tr><td>15</td><td>गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –
गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा का विवरण प्रकरणवार निम्नानुसार हैः–
(अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना दुगुने नारंगी वनक्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्श की आवश्यकता नहीं है, विवरण पृष्ठ 117 में संलग्न है।
(ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना दुगुने बिगडे वनक्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्श की आवश्यकता नहीं है, पृष्ठ 113 से 114 में संलग्न है।</td><td>Vol A - Part I
(पृष्ठ क्र. 117)
Vol B - Part I
(पृष्ठ क्र. 113 से 114)</td></tr>
<tr><td>16</td><td>स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव में पृथक से संलग्न है) –
स्थल विशेष 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 185.017 हे. के एवज में बस्तर वनमंडल में दुगुने नारंगी वन रकबा 370.034 हे. एवं 55.850 हे. के एवज में धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 114.245 हे. में प्रस्तावित है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–
<table>
<tr><th>पृ. क्रमांक</th><th>रकबा (हे. में)</th><th>वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)</th></tr>
<tr><td>पृष्ठ 118 से 159</td><td>185.017</td><td>370.034</td></tr>
<tr><td>पृष्ठ 115 से 608</td><td>55.850</td><td>114.245</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>240.867</td><td>484.279</td></tr>
</table></td><td>Vol A - Part I
(पृष्ठ क्र. 118 से 159)
Vol B - Part I & II
(पृष्ठ क्र. 115 से 608)</td></tr>
<tr><td>17</td><td>वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र – संबंधित वनमंडलाधिकारियों का वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र का विवरण प्रकरणवार निम्नानुसार हैः–
(अ)रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए वन मंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल का वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र पृष्ठ 160 से 165 में संलग्न है।
(ब)रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल का वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र पृष्ठ 609 से 624 में संलग्न है।</td><td>Vol A - Part I
(पृष्ठ क्र. 160 से 165)
Vol B - Part II
(पृष्ठ क्र. 609 से 624)</td></tr>
</table>

क्रमशः 5

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
18	**अधिनियम उल्लघंन अंतर्गत कार्यो का विवरण** –वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया गया है। प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है तदाशय का वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल का प्रतिवेदन पत्र पृष्ठ 166 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।तदाशय का वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल का प्रतिवेदनटीप पृष्ठ 625 से 626 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 166) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 625 से 626)
19	**अधिनियम उल्लघंन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण** – प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए किसी भी प्रकार के अधिनियम उल्लघंन नहीं हुआ है, विवरण पत्र पृष्ठ 167 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए किसी भी प्रकार के अधिनियम उल्लघंन नहीं हुआ है, विवरण पत्र पृष्ठ 627 से 628 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 167) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 627 से 628)
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही** – प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए किसी भी प्रकार के अधिनियम उल्लघंन नहीं हुआ है। अतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है विवरण पत्र पृष्ठ 168 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए किसी भी प्रकार के अधिनियम उल्लघंन नहीं हुआ है, अतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है विवरण पत्र पृष्ठ 629 से 630 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 168) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 629 से 630)
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र** – प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है विरण पत्र पृष्ठ 169 से 176 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है विरण पत्र पृष्ठ 631 से 639 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 169 से 176) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 631 से 639)
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान** –प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव खनन प्रकरण होने के कारण कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव खनन प्रकरण होने के कारण कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।	

क्रमशः : 6

<table>
<tr><th>बिंदु क्र.</th><th>विवरण</th><th>संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप</th></tr>
<tr><td>23</td><td>रिक्लेमेशन प्लान –
प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार हैः–
(अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए रिक्लेमेशन प्लान पृष्ठ 177 से 196 में संलग्न है।
(ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए रिक्लेमेशन प्लान पृष्ठ 642 से 662 में संलग्न है।</td><td>Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 177 से 196)
Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 642 से 662)</td></tr>
<tr><td>24</td><td>माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –
वर्ष 2013 की स्थिति में छाल ओपन कास्ट सीम–3 प्रोजेक्ट 6 मिलियन टन प्रति वर्ष की प्राजेक्ट रिपोर्ट की आवरण लगाई गई है। साथ में 16.12.2013 का कोल इण्डिया लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक का कार्यवाही विवरण लगाया गया है। प्रोजेक्ट रिर्पोट की प्रतियां अलग से उपलब्ध कराई गयी है प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार हैः–
(अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए अनुमोदित माईनिंग प्लान पृष्ठ 197 से 205 में संलग्न है।
(ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए अनुमोदित माईनिंग प्लान पृष्ठ 663 से 671 में संलग्न है।</td><td>Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 197 से 205)
Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 663 से 671)</td></tr>
<tr><td>25</td><td>व्यवस्थापन प्लान – प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार हैः–
(अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए व्यवस्थापन प्लान पृष्ठ 206 से 227 में संलग्न है।
(ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए व्यवस्थापन प्लान पृष्ठ 672 से 691 में संलग्न है।</td><td>Vol A-Part I (पृष्ठ क्र. 206 से 227)
Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 672 से 691)</td></tr>
<tr><td>26</td><td>वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक)–
वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तावวार निम्नानुसार हैः–
<table>
<tr><th>पृ. क्रमांक</th><th>रकबा</th><th>घनत्व</th><th>व.म.अ. का स्थल निरीक्षण दिनांक</th><th>मु.व.स. का स्थल निरीक्षण दिनांक</th></tr>
<tr><td>पृष्ठ 228 से 247</td><td>185.017</td><td>0.4 से 0.6 तक</td><td>04.08.2017</td><td>22.11.2017</td></tr>
<tr><td>पृष्ठ पृष्ठ 692 से 700 एवं 700 ए</td><td>55.850</td><td>0.4</td><td>22.08.2020</td><td>24.09.2020</td></tr>
</table></td><td>Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 228 से 247)
Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 692 से 700 A)</td></tr>
<tr><td>27</td><td>ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –
व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नही है वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ का प्रमाण पत्र प्रकरणवार निम्नानुसार हैः–
(अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण –पत्र पृष्ठ 248 में संलग्न है।
(ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण –पत्र पृष्ठ 701 से 702 में संलग्न है।</td><td>Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 248)
Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 701 से 702)</td></tr>
</table>

क्रमशः : 7

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए प्रकरणवार निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र पृष्ठ 249 से 255 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रथम चरण की स्वीकृति के उपरांत पालन के समय प्रस्तुत किया जावेग, संबंधित अभिलेख पृष्ठ 703 से 706 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 249 से 255) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 703 से 706)
29	**जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में)** –प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए जिले की कुल वनभूमि का विवरण पृष्ठ 256 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए जिले की कुल वनभूमि का विवरण पृष्ठ 707 से 708 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 256) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 707 से 708)
30	**1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए 1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि का विवरण पृष्ठ 256 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए 1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि का विवरण पृष्ठ 709 से 710 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 256) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 709 से 710)
31	**वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में** –प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि का विवरण पृष्ठ 257 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि का विवरण पृष्ठ 711 से 712 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 257) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 711 से 712)
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उधान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी** – आवेदित वनभूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उधान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नही है परन्तु आसपास में स्थित वन कक्षों में यदा कदा हाथीयों का विचरण होना पाया गया है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल का प्रतिवेदन प्रकरणवार निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए विवरण पृष्ठ 258 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए विवरण पृष्ठ 713 से 714 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 258) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 713 से 714)

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन (केवल खनन प्रकरण में) –** 15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन कर मानचित्र प्रकरणवार निम्नानुसार संलग्न है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए चिन्हांकन कर मानचित्र पृष्ठ 259 से 276 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए चिन्हांकन कर मानचित्र पृष्ठ 715 से 734 में संलग्न है।	Vol A - Part II (पृष्ठ क्र. 259 से 276) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 715 से 734)
34	**वन अधिकार मान्यता विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए वन अधिकार मान्यता विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण प्रकरणवार निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए कलेक्टर, जिला रायगढ़ का वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र पृष्ठ 277 से 285 में संलग्न है। (ब) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलाय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/11–43/ 2013/एफ.सी., दिनांक 26.02.2019 के अनुसार वन अधिकार मान्यता पत्र वितवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति तक के लिए छूट प्रदान की गई है। विवरण पृष्ठ 735 से 738 में संलग्न है।	Vol A - Part II (पृष्ठ क्र. 227 से 285) Vol B -Part II (पृष्ठ क्र. 735 से 738)
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए राजस्व वन भूमि संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण प्रकरणवार निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए कलेक्टर, जिला रायगढ़ का प्रमाण पत्र पृष्ठ 286 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए प्रकरण में कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक/1311/भू.अ.लि./2019, दिनांक 01.10.2019 (प्रस्ताव पृ. क्र.–740) से जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदित भूमि राजस्व भूमि है। अतः राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है संबंधित अभिलेख पृष्ठ 739 से 742 में संलग्न है।	Vol A - Part II (पृष्ठ क्र. 286) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 739 से 742)
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र पृष्ठ 287 से 288 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र पृष्ठ 743 से 744 में संलग्न है।	Vol A-Part II (पृष्ठ क्र. 287 से 288 Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 743 से 744)

क्रमशः : 9

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
37	**Clearance under FC Act,1980 Deposition of funds with the AD-hoc CAMPA : Remittances of precede 2 nd stage Clearance –** प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए आवेदक का वचन पत्र का विवरण प्रकरणवार निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए वचन पत्र पृष्ठ 288 से 289 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए वचन पत्र पृष्ठ 745 से 746 में संलग्न है।	Vol A - Part II (पृष्ठ क्र. 288 से 289) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 745 से 746)
38	**A detailed note on soil productivity or the lack of it –** प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए विस्तृत विवरण प्रकरणवार निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में 74284 वृक्षों के लिए क्षेत्रों की मिट्‌टी चिकनी, दोमट, एवं बलुई है, जिसमें ह्यूमन लगभग सामान्य है तथा पानी को रोकने की शक्ति भी सामान्य है इसलिए मृदा, वृक्षों/वनस्पत्तियों के लिए उपयुक्त है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी का प्रतिवेदन पृष्ठ 290 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में 74284 वृक्षों के लिए क्षेत्रों की मिट्‌टी चिकनी, दोमट, एवं बलुई है, जिसमें ह्यूमन लगभग सामान्य है तथा पानी को रोकने की शक्ति भी सामान्य है इसलिए मृदा, वृक्षों/वनस्पत्तियों के लिए उपयुक्त है। इस आशय का वनमंडलाधिकारी का प्रतिवेदन पृष्ठ 747 से 748 में संलग्न है।	Vol A - Part II (पृष्ठ क्र. 228 से 290) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 747 से 748)
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. में परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में व्यपवर्तन से पूर्व किसी भी प्रकार की भूमि में किसी भी प्रकार की खनन कार्य नही किया गया है। वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल एवं आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए विवरण पृष्ठ 291 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए विवरण पृष्ठ 749 से 750 में संलग्न है।	Vol A - Part II (पृष्ठ क्र. 291) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 749 से 750)
40	**Division of large area (more then 500 ha)of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (conservation)Act 1980 Stipulation of additipna condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) –** प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए आवेदक का वचन पत्र का विवरण प्रकरणवार निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए वचन पत्र पृष्ठ 292 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए वचन पत्र पृष्ठ 751 से 752 में संलग्न है।	Vol A - Part II (पृष्ठ क्र. 292) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 751 से 752)

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
41	**पंजयीन कमांक –** आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार निम्नानुसार पंजीयन एवं प्रसंस्करण की राशि जमा किया गया है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/MIN/ 16237/2015** जमा राशि 64,000/– रूपये संबंधित दस्तावेज पृष्ठ 17 से 20 में बिन्दु क्रमांक 2 अनुसार संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/MIN/39334/2019** जमा राशि 52,000/– रूपये संबंधित दस्तावेज पृष्ठ 753 से 756 में संलग्न है।	Vol A - Part I (पृष्ठ क्र. 17 से 20) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 753 से 756)
42	**वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** व्यपवर्तन हेतु आवेदक संस्थान ने एस.एफ.आर.टी.आई. रायपुर से वन्यप्राणी संरक्षण योजना मय एवीफौना योजना बनवाई है। यह योजना एस.एफ.आर.टी.आई के पत्र दिनांक 31.07.2019 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी को उपलब्ध कराई है। जब प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त होगी उसके बाद पालन में समस्त 240.867 हे. वन भूमि के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना आवेदक संस्थान के व्यय पर क्रियान्वित की जावेगी। तदाशय की शर्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अभिमत फार्म भाग–4 में सम्मिलित कर दी गई है। प्रस्ताव में विवरण निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए विवरण पृष्ठ 293 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए विवरण पृष्ठ 757 से 758 में संलग्न है।	Vol A - Part II (पृष्ठ क्र. 293) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 757 से 758)
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्तावित 240.867 हे. प्रस्ताव खनन प्रकरण होने के कारण तथा विद्युत लाईन से संबंधित नही होने के कारण आवश्यक नहीं है।	-
44	**प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण –** प्रकरण में प्रस्तावित 240.867 हे. के लिए अन्य जानकारी का विवरण प्रकरणवार निम्नानुसार है:– (अ) रकबा 185.017 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए अन्य जानकारी पृष्ठ 294 से 394 में संलग्न है। (ब) रकबा 55.850 हे. डिम्ड फारेस्ट के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के लिए अन्य जानकारी पृष्ठ 761 से 812 में संलग्न है।	Vol A- Part II (पृष्ठ क्र. 294 से 394) Vol B - Part II (पृष्ठ क्र. 761 से 812)

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

क्रमशः : 11

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। प्रमुख सचिव, वन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी गई है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार (प्रस्ताव 185.017 हे. तथा
अतिरिक्त प्रस्ताव 55.850 हे.) 1 प्रति में।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–18/2018/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08/04/2021

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,।

2.मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल छत्तीसगढ़ ।

4.आवेदनकार्ता, महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. छाल रायगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग